

उत्तर प्रदेश शासन  
सचिवालय प्रशासन कम्प्यूटरीकरण एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ  
संख्या -523 / बीस-क.प्र.-2010-2(विविध) / 10  
लखनऊ, दिनांक : 22 मार्च, 2010

7A

### कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- शासन स्तर पर तैनात विशेष सचिवों को लैपटॉप कम्प्यूटर एवं राहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर तैनात समस्त विशेष सचिवों को लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय सचिवालय प्रशासन विभाग में लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय एवं अनुरक्षण के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को ताल्कालिक प्रभाव से विकेन्द्रित करते हुए उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रतिनिधानित करने की रवीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) शासन स्तर पर तैनात समस्त विशेष सचिवों द्वारा सचिवालय में तैनाती की अवधि हेतु एक-एक लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त उप महानिदेशक, एन.आई.सी. एवं राज्य सूचना दिज्ञान अधिकारी को संस्तुति पर सचिवालय के विभिन्न भवनों में कम्प्यूटर नेटवर्क के संचालन/अनुरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के अधिकारियों तथा प्रभारी, सचिवालय प्रशासन कम्प्यूटरीकरण एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को एक-एक लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण अनुमन्य होगा।
- (2) लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण क्य करने हेतु अधिकतम वित्तीय सीमा रामरत्न कर एवं संस्थागत व्यय/सेन्टर्ज चार्ज सहित ₹0 75,000/- होगी। उक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत लैपटॉप का क्य किया जाना अनिवार्य होगा। लैपटॉप के सहवर्ती उपकरणों के रूप में प्रिन्टर, रकेनर तथा डिजिटल स्टिल कैमरा या वीडियो कैमरा भी क्य किया जा सकता है किन्तु यह अनिवार्य नहीं होगा।
- (3) सचिवालय प्रशासन विभाग के बजट सेल अनुभाग द्वारा प्रत्येक विभाग को उनके विशेष सचिव की संख्या के अनुसार ₹0 75,000/- प्रति अधिकारी के आधार पर अनुदान संख्या-78 के सुसंगत लेखा शीर्षक से बजट आवंटित किया जाएगा।
- (4) अधिकारियों के लिए लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण क्य करने हेतु विभाग द्वारा किसी अनुभाग को नोडल अनुभाग नामित किया जायेगा। नोडल अनुभाग हैंगामा एवं सहवर्ती उपकरण के क्य एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

- (5) प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विशेष सचिवों हेतु लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण का कथ यू. पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि., लखनऊ के माध्यम से नियमानुसार किया जाएगा।
- (6) संलग्नक में निर्धारित न्यूनतम् तकनीकी विशिष्टियों के आधार पर प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विशेष सचिवों के लिए लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण का कथ निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। न्यूनतम् तकनीकी विशिष्टियों अथवा उससे उच्चतर तकनीकी विशिष्टियों के ही लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण का कथ किये जा सकेंगे। निम्न स्तर के लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण की तकनीकी विशिष्टियों के साथ ब्राण्ड/मैक का चयन संबंधित अधिकारी, जिनको लिए ब्रैपटाप एवं राहवर्ती उपकरण अनुमन्य है, द्वारा किया जायेगा।
- (7) लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण के कथ के आदेश संबंधित विभाग द्वारा अपने स्तर से सीधे यू. पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि., लखनऊ को दिये जायेंगे।
- (8) लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण की आपूर्ति के पश्चात उपरोक्त नोडल अनुभाग आनी रटाक तक में उपकरणों से संबंधित प्रविष्टियाँ अंकित करेगा।
- (9) सम्बन्धित विभाग के विशेष सचिव तथा अन्य अनुमन्य अधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि उनके द्वारा कथ किये गये लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों के हैं तथा उनके द्वारा लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त ही संबंधित विभाग द्वारा यू. पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि., लखनऊ को अपने लेभ्रा कोष्ठक के माध्यम से नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी तथा अवशेष धनराशि सचिवालय प्रशासन विभाग के कोष कोष्ठक में जमा की जायेगी।
- (10) सम्बन्धित विभाग में शाखा के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस धनराशि का जेखा-जोखा अपने स्तर पर रखा जाएगा तथा यथासम्य व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उसके साथ प्रस्तर-(9) में वर्णित प्रमाण पत्र की एक प्रति संचिवालय प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (11) यू. पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि., लखनऊ द्वारा ब्रैमारिक रूप से अधिकारी का नाम/पदनाम, कथ किये गये लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरणों का विवरण, प्रयुक्त धनराशि सांहत, सचिवालय प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (12) लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण को सम्बन्धित विभाग द्वारा अधिकारी के नाम से आवंटित किया जाएगा तथा लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण की गुणता और क्षमता जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण की अधिकारी के पास रहते हुए घोरा/क्षति होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- (14) वारन्टी अवधि में लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरणों का अनुरक्षण सम्बन्धित विभाग द्वारा यू. पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि., लखनऊ से सीधे कराया जायेगा। वारन्टी अवधि के उपरान्त लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरणों का अनुरक्षण सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाएगा।
- (15) लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण के प्रयोगार्थ कन्ज्युमेबुल्स, सचिवालय प्रशासन विभाग के स्टेशनरी अनुभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (16) अधिकारियों के सचिवालय से बाहर स्थानान्तरण अथवा सचिवालय में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण को यदि वह चाहें तो निम्नलिखित अवमूल्यन मूल्य के आधार पर क्य किया जा सकेगा –

" The laptop and associated accessories will be depreciated at 60% per calendar year on written down value w.e.f the date of supply i.e. the depreciated price will become 40% of the original price after the first calendar year, 16% after the second calendar year and 6.4% after the third calendar year."

- (17) सचिवालय में एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण की दशा में लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण सम्बन्धित अधिकारी प्रथम विभाग की रस्टॉक बुक में प्रविष्टि कटवाकर दूसरे विभाग में ले जा सकेंगे और दूसरे विभाग में उसकी रस्टॉक बुक में प्रविष्टि अकित करने की कार्यवाही उपर्युक्त प्रस्तर (8) के अनुसार की जाएगी।
- (18) अधिकारियों के सचिवालय से बाहर स्थानान्तरण अथवा सचिवालय में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर (16) के अनुसार अवमूल्यन दर पर लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण का क्य नहीं किया जाता है तो राम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण सचिवालय प्रशासन विभाग के भण्डार (प्रथम) में जमा करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के समय लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरणों के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र लेना होगा।

2- मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिवों एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ के संस्तुत अधिकारियों के लिए लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरणों का क्य उनमें उक्त का मेक एवं मॉडल प्राप्त कर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा।

3- लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्य पर होने पाला चाहय आ। जम्म की अनुदान लंख्या-78 के लेखाशीषक '2052-सचिवालय' सामान्य निवार्य- आयोजनार 090-सचिवालय-11-ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्य-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर, 'साफ्टवेयर का क्य' के नाम डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-427 / दस-2010, दिनांक 22 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।  
संलग्नक-यथोक्त।

कामरान रिज़वी,  
सचिव।

संख्या-523 (1) / बीस-क0प्र0-2010-? (विविध) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/औद्योगिक विकास आयुक्त/समाज कल्याण आयुक्त, ३०प्र०।
2. समरत प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समरत प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मन्त्रि-भण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समरत दिशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी(प्रथम), ३०प्र०, इलाहाबाद।
9. महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम), ३०प्र०, इलाहाबाद।
10. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, यू. पी. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि., नवघंटना केन्द्र, लखनऊ।
12. समरत आहरण एवं वितरण अधिकारी, संबंधित शाखा, ३०प्र० शासन।
13. मुख्य लेखाकार/मुख्य कोषाध्यक्ष, सचिवालय प्रशासन कोष कोष्ठक, ३०प्र० शासन।
14. सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग/सचिवालय प्रशासन अनुभाग-७ (विविध) / राजिकात्रय प्रशासन अनुभाग-१० (लेखा)।
15. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-५/वित्त(लेखा) अनुभाग-१/वित्त(लेखा) अनुभाग-२।
16. आई०टी० एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुभाग-२।
17. अधीक्षक, भण्डल(प्रथम), ३०प्र० सचिवालय।
18. विभागीय वेबसाइट <http://sad.up.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु सचिवालय प्रशासन अनुभाग-३(अधि०) को।
19. गार्ड फाईल।

आङ्ग से,

(पंकज गंगवर)  
विशेष सचिव।

**कार्यालय ज्ञाप संख्या-523/बीस-क.प्र.-2010-2(विविध)/10, दिनांक 22 मार्च, 2010 का संलग्नक**

<b>Sl.</b>	<b>Product</b>	<b>Minimum Technical Specification of Laptops for Sp. Secretaries. SAD</b>
1	Processor	Intel Core 2 Duo T 7100 processor or higher/ Intel Core 2 Duo P8600 processor or higher/intel Core 2 Duo SP9300 processor or higher
	RAM	2 to 4 GB DDR II RAM
	Hard Disk	250/320 GB SATA
	Optical Drive	DVD Super multi double layer writer (DVD +/- R/RW-RAM) or Blue Ray disk
	Display	WXGA TFT Display (preferable 13.1 " display)
	Graphics	Intel Graphics card integrated
	Wi Fi	802.11 a/g/n
	Ports	2 or more high speed USB 2.0 ports( 4 ports preferable), SD Card Reader
	Battery Back Up	4 to 6 cell battery with backup of 2 hours or more
	Features	1.3/2.0 MP integrated WebCam, integrated stereo speakers Gigabit Ethernet card Bluetooth Ver 2.1 with Enhanced Data Rate
	Security & Protection	Finger Print Recognition(optional), HDD 3D Motion Sensor Face Recognition(optional)
	Operating System	Genuine Windows Vista Business preloaded with COA and XP Downgrade Option/windows 7.0 or equivalent OS. Antivirus with three years upgrades
	Warranty	Three years comprehensive on site warranty OEM Carry Bag
	<b>Additional Items when required (Optional)</b>	
2	Laser Printer	Mono Laser Printer with 23 PPM (A4) or higher Monochrome Laser printer, 1200 x 1200 dpi or more, Processor 200 Mhz or Higher, 2 MB or higher Memory, Hi-Speed USB 2.0 compatible, All cables, accessories & Driver Software. Three years comprehensive on site warranty.
3	Officejet Color Printer	Officejet color printer with minimum (34 PPM color print speed on A4 size Paper, 1200*1200 dpi (blk), 4800*1200 dpi (color), processor 384 Mhz or more, minimum 32 MB of buffer memory), USB interface, Supporting A4 Size Paper, all cables, accessories & Driver Software.Three years comprehensive on site warranty.
4	Scanner	Flatbed scanner, resolution 4800* 9600 dpi, 48 bit depth, Max. document scan size 8.5 * 11.7 inches/(A4 size) . Three years comprehensive on site warranty.
5	Digital Camera	5.0 or more Mega Pixel, 4x or more Optical zoom with all the data cables, USB support
6	Video Camera	Hybrid Digital Video Camera, zoom 40x/25x optical(2000x digital) or less, Pixels: 1MB or more(photo mode), 2.7(6.9cm) wide touch screen LCD, Memory stick slot supporting 1 GB or more, supporting USB 2.0 or high, night shot plus technology.
7	External Items	External Hard Disk/Pen drive, Bluetooth Mouse, I-Pod

संस्कृत प्रादेशी शासन  
सचिवालय ग्रामसंचान कन्यूटरीकरण एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ  
संख्या-2495 / बीस-क.प्र.-2011-3(लैपटाप) / 09  
लखनऊ . दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

कार्यालय-ज्ञाप

**विषय :** शासन स्तर पर तैनात विशेष सचिवों को लैपटाप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं आधिकारिक संशोधन।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-523 / बीस-क.प्र.-2010-2(विधि) / 10, दिनांक 22 मार्च, 2010 (यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1294 / बीस-क.प्र.-2010-3(लैपटाप) / 10, दिनांक 04 अगस्त, 2010) द्वारा शासन स्तर पर तैनात विशेष सचिवों को लैपटाप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्धारित नीति में सम्पादन विद्यारोपणन्त तात्कालिक प्रभाव तँ एतद्वारा निम्नवत् आशिक संशोधन किया जाता है :-

► नीचे स्तम्भ-2 में उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2010 के उल्लिखित प्रस्तरों के वर्तमान अंश को उसके समुद्दृ स्तम्भ-3 में उल्लिखित अंश से संशोधित समझा जाएगा :-

क्र.	वर्तमान अंश	संशोधित अंश
1	2	3
1.	प्रस्तर-1(4)-अधिकारियों के लिए लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण क्रय करने हेतु विभाग द्वारा किसी अनुमान को नोडल अनुमान नामित किया जायेगा। नोडल अनुमान लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण के क्रय एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।	अधिकारियों के लिए लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरणों का क्रय/आवंटन शाखा अधिकारि अनुमान द्वारा किया जाएगा। शाखा अधिकारि अनुमान लैपटाप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण के क्रय, आवंटन एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा और अवमूल्यन दर पर अधिकारी द्वारा लैपटाप/सहवर्ती उपकरण क्रय किये जाने की दशा में अवमूल्यन मूल्य का निर्धारण व उसके विक्रय का दायित्व से सम्बन्धित शाखा अधिकारि अनुमान का होगा।
2.	प्रस्तर-1(8)-लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण की आपूर्ति के पश्चात् उपरोक्त नोडल अनुमान अपनी स्टाक बुक में उपकरणों से सम्बन्धित प्रतिष्ठिया अंकित करेगा।	लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति के पश्चात् शाखा अधिकारि अनुमान अपनी स्टाक बुक में उपकरणों से सम्बन्धित प्रतिष्ठिया अंकित करेगा।
3.	प्रस्तर-1(18)-अधिकारियों के सचिवालय से बाहर स्थानान्तरण अथवा सचिवालय में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर (16) के अनुसार अवमूल्यन दर पर लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण का क्रय नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण सम्बन्धित शाखा अधिकारि अनुमान में जमा करना अनिवार्य होगा।	अधिकारियों के सचिवालय से बाहर स्थानान्तरण अथवा सचिवालय में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर (16) के अनुसार अवमूल्यन दर पर लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण का क्रय नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत लैपटाप एवं सहवर्ती उपकरण सम्बन्धित शाखा अधिकारि अनुमान में जमा करना अनिवार्य होगा।

2. उपरोक्त तालिका में सलिलिति प्रस्तार-1(18) के संशोधित अंश के अनुसार शाखा अनुभाग में विशेष सचिवों द्वारा लौटाये गये लैपटाप व सहवर्ती उम्मकरणों का प्रयोग शासकीय कार्यों उनसे निम्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा तथा सम्बन्धित शाखा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण अधवा सेवानिवृत्ति की दशा में इन्हें वापस शाखा अधिकारी जमा कराया जाएगा।

3. संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-1267(1)/ दस-2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अवनीश कुमार अवस्थी,  
सचिव।

पुष्टाकन संख्या-2495(1)/बीस-क.प्र.-2011-3(लैपटाप)/09, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/औद्योगिक विकास आयुक्त/समाज कल्याण आयुक्त, उ.प्र।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. ब्रह्मनिदेशक, यू. पी. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि., नवघेतना केन्द्र, लखनऊ।
12. समस्त शाखा अधिकारी अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
13. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, सम्बन्धित शाखा, उ. प्र. शासन।
14. मुख्य लेखाकार/मुख्य कोषाध्यक्ष, सचिवालय प्रशासन कोष कोष्ठक, उ. प्र. शासन।
15. सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग/सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध)/सचिवालय प्रशासन अनुभाग-10(लेखा)।
16. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-2.
17. आई.टी. एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुभाग-2.
18. अधीक्षक, भण्डार प्रथम, उ. प्र., सचिवालय।
19. विभागीय वेबसाइट <http://sad.up.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधि.) को।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन घिंतांशी)

अनु सचिव।